

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 881

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान मानदेय

881. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देशभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय भुगतान में असमानताओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानकीकृत वेतन ढांचा शुरू करने की कोई योजना है ताकि उचित और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शुरू करने अथवा इसे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद करने के उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि करती है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी

सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूरा किए जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में के लिए 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/ बीमा का लाभ 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(v) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई है।

अनुलग्नक

“आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान मानदेय” के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 881 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप का भुगतान करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

| क्रम सं | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में | |
|---------|------------------------------------|--|---|
| | | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री | आंगनवाड़ी सहायिका |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7000 | 4750 |
| 2 | बिहार | 2500 | 1725 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 5500 | 2750 |
| 4 | गोवा | 5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव) | 3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव)और 6000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव) |
| 5 | गुजरात | 5500 | 3250 |
| 6 | हरियाणा | 9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। | 5250 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950 | 3100 |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 8 | जम्मू एवं कश्मीर | 600 | 300 |
| 9 | झारखंड | 5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र) | 2500 |
| 10 | कर्नाटक | 6500 | 4000 |
| 11 | केरल | 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये | 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये |
| 12 | मध्य प्रदेश | मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750 | 4250 |
| 13 | महाराष्ट्र | 5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव) | 3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव) |
| 14 | ओडिशा | मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875 | 1500 |
| 15 | पंजाब | 5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि) | 3100 (प्रति माह 250 की वृद्धि) |
| 16 | राजस्थान | 4554 | 3036 |
| 17 | तमिलनाडु | 10502 | 6596 |
| 18 | तेलंगाना | 9150 | 5550 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 1500 | 750 |
| 20 | उत्तराखंड | 4800-एडब्लूडब्लू और 2750-मिनी एडब्लूडब्लू | 3000 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 3750 | 4050 |
| 22 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 7500 | 5750 |
| 23 | चंडीगढ़ | 3600 | 1800 |

| | | | |
|----|---|---|------------------------------------|
| 24 | दादरा और नगर हवेली/दमन एवं दीव | 1000 | 600 |
| 25 | लक्षद्वीप | 5500 | 4750 |
| 26 | दिल्ली | 8220 | 4560 |
| 27 | पुदुचेरी | 1950 | 2125 |
| 28 | अरुणाचल प्रदेश | 16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात | 16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात |
| 29 | असम | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250 | 1000 |
| 30 | मणिपुर | 1000 | 600 |
| 31 | मेघालय | मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500 | 1000 |
| 32 | मिजोरम | 450 | 250 |
| 33 | नागालैंड | 0 | 0 |
| 34 | सिक्किम | 7000 | 4500 |
| 35 | त्रिपुरा | 5946 (अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम) | 4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम) |
| 36 | लद्दाख | 1300 | 650 |
